बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 3

बुधवार, तिथि 16 फाल्गुन, 1939 (श.)
07 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 09

1.	नगर विकास एवं आवास विभाग	-	-	04
2.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	-	-	02
3.	सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग	-	-	01
4.	सहकारिता विभाग	-	-	02
			कुल योग –	09

दिव्यांग को ट्राइसाइकिल नहीं

49. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में दिव्यांगों के कल्याण के लिए निगम के वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में पहली बार दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल देने की घोषणा हुई थी और जिस प्रावधान के तहत पटना नगर निगम को 20 लाख की राशि व्यय करनी थी;

(ख) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के अन्तर्गत पार्कों में भी दिव्यागों के खेल और मनोरंजन की विशेष व्यवस्था की बात कही गई थी लेकिन निगम ने एक भी दिव्यांग को ट्राइसाइकिल नहीं दी और न उनके लिए खेल और मनोरंजन की विशेष व्यवस्था ही की;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि बरती गई अवहेलना के लिए कौन दोषी हैं और उन पर कौन-सी कार्रवाई करने पर विचार करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

जमीन से बेदखल

50. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पहाड़पुर प्रखंड के खाता सं.-469, खेसरा नं.-3520/4, रकबा 6 डिसमिल, थाना नं.-135 को सखीचन्द साह, पिता स्व. रघुनाथ साह के नाम से खरीदी गयी जमीन का दाखिल खारिज पहाड़पुर अंचलाधिकारी द्वारा केस नं.-366 के 383/05-06 के द्वारा आदेश पारित के उपरांत आजतक इनके नाम से दाखिल खारिज कर लगान सं.-8817 के द्वारा मालगुजारी रसीद सं.-00528626 के द्वारा 2016-17 तक भू-लगान दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि दबंगों द्वारा अतिपिछड़ा से आने वाले सखीचन्द साह को जमीन से बेदखल करने के लिए अंचलाधिकारी, पहाड़पुर के यहां जमीन की जमाबंदी समाप्ति हेतु याचिका दायर की गई, इसके बाद इनकी जमाबंदी रद्द की गयी, जिसके उपरांत सखीचन्द साह की शिकायत पर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय अरेराज परिवाद सं.-50241-00936 पर निर्णय की तिथि 20.02.2017 के द्वारा अभिलेखों के जांचोपरान्त आदेश पारित किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अतिपिछड़ा एवं दैनिक मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले सखीचन्द साह को दबंगों से बचाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कूड़ा उठाव की व्यवस्था

51. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना स्थित पत्थर की मस्जिद के पास न्यू साकेत बिहार कालोनी अवस्थित है;

(ख) क्या यह सही है कि न्यू साकेत बिहार कालोनी में नगर निगम द्वारा एक भी कूड़ा का डस्टबिन नहीं रखे जाने के कारण कॉलोनी के मोड़ से लेकर सड़क तक कूड़ा का अम्बार लगा रहता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त कूड़े की दुर्गंध की वजह से कई तरह के संक्रामक रोग फैलते रहते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र न्यू साकेत बिहार कॉलोनी से कूड़ा उठाव की समुचित व्यवस्था करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

निर्देश का अनुपालन नहीं

52. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मीठापुर अन्तर्राज्यीय बस अड्डा में बड़ी संख्या में अतिक्रमण, यात्री रोड एवं आसपास दर्जनों दुकानें, स्टैंड गेट के पास मंदिर निर्माण तथा दर्जनों पुरानी खराब गाड़ियों को स्टैंड परिसर में बेतरतीब रखे जाने और उससे यात्रियों को हो रही समस्या को ध्यान में रखते हुए सितम्बर, 2017 में तत्कालीन नगर आयुक्त ने निगम को कुछ प्रमुख निर्देश दिये थे;

(ख) क्या यह सही है कि बस स्टैंड के स्वयं निरीक्षण के क्रम में नगर आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों का अबतक अनुपालन नहीं किया गया है जिसके कारण लगभग 40 से 50 हजार यात्रियों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यह बतलाएगी कि नगर आयुक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर (मीठापुर) बस अड्डा के संबंध में क्या-क्या निर्देश दिये गये थे और उनका अनुपालन अबतक नहीं किये जाने का क्या कारण है, क्या सरकार उसके प्रति अब भी सचेत है अथवा नहीं?

आईटी कंपनियों को जगह

53. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि जुलाई, 2015 में पटना के बिस्कोमान भवन में जगह देने के लिए 32 आईटी स्टार्टअप्स का चयन किया गया था, जिसके तहत दिसंबर, 2015 में जगह दी जानी थी;

(ख) क्या यह सही है कि इसके तहत नए उद्यमियों को स्टार्टअप के लिए सरकारी स्तर पर जगह (जमीन), हाई स्पीड वाई-फाई इंटरनेट, चौबीस घंटे बिजली, कान्फ्रेंस रूम, रिसेप्शन-कम-बिजनेस सेंटर आदि की सुविधाएं मुहैया कराया जाना था;

(ग) क्या यह सही है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से बिस्कोमान भवन में अबतक एक भी आईटी कम्पनियों को जगह नहीं मिल पायी है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ पटना के बिस्कोमान भवन में सभी 32 आईटी कंपनियों को जगह दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

समिति का निर्माण

54. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सब्जियों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने हेतु प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादन सहयोग समिति, जिला स्तरीय सब्जी उत्पादक संघ एवं राज्य स्तरीय परिसंघ बनाया जायेगा;

(ख) क्या यह सही है कि प्रखंड में सब्जी संग्रहण केन्द्र को सौर्टिंग, ग्रेडिंग एवं परिवहन, जिला स्तर पर भंडारण एवं पैकेजिंग की सुविधा विकसित की जाएगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस समिति के निर्माण हेतु कारगर कदम उठाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

राजस्व कचहरी का निर्माण

55. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीननगर अंचल के रासपुर राजस्व ग्राम हल्का नं.-7 का भवन निर्माण हेतु महामहिम के नाम से भूमि दान में निबंधित सरकार को प्राप्त है;

(ख) क्या यह सही है कि रासपुर पतसिया पूर्व एवं पश्चिम की दो बड़ी पंचायत के अलावे दो राजस्व ग्राम भरसिगपुर एवं चकहोहरा गोपाली का लगभग पच्चीस हजार एकड़ का क्षेत्र है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो लो. नि. वि. के पथ के पास निबंधित भूमि पर सरकार राजस्व कचहरी का भवन बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जमीन का अतिक्रमण

56. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण करने वाले के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि राजधानी पटना के कंकड़बाग टेम्पू स्टैंड स्थित मठ मंदिर बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन है, जिसका अतिक्रमण मठ मंदिर के पुजारी द्वारा निजी आवास बनाकर कर लिया गया है और उक्त जमीन पर पान गुमटी, झुग्गी-झोंपड़ी बनवाकर वे किराया वसूल कर रहे हैं और मंदिर का विकास भी नहीं कर रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त झुग्गी-झोंपड़ी में प्राय: आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों का संरक्षण किया जाता है, झुग्गी-झोंपड़ी में अपराधियों के छिपने से प्रशासन को इसकी भनक नहीं लग पाती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'क' में वर्णित जमीन से अतिक्रमण हटाकर मंदिर के विकास हेतु त्रिसदस्यीय समिति गठित करना चाहती है?

पैक्सों से चावल मिलों को जोड़ना

57. **श्री सी.पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में धान खरीद के लिए पैक्सों को बैंक से कैश क्रेडिट के रूप में पैसा मिलता है, पैक्स या व्यापार मंडल धान की कुटाई कराकर चावल आपूर्ति करते हैं तो राज्य खाद्य निगम के माध्यम से केन्द्रीय खाद्य निगम पैसा वापस करता है;

(ख) क्या यह सही है कि धान की कुटाई पैक्स उसी मिल से कराते हैं जिसके साथ सरकार उन्हें टैग करती है, मिलों का निबंधन प्रारंभ नहीं हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकारी खरीद शुरू हुए एक महीना बीतने के बाद भी अभी तक पैक्सों से चावल मिलों को नहीं जोड़ पाई है तो क्या सरकार शीघ्र जोड़ना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 07 मार्च, 2018